है, यदि हां, तो कितना और इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) व्यावहारिक अनुसंधान विद्यालय, सांगली, जो समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी निकाय है, के वैज्ञानिकों ने बैलगाड़ियों में कुछ उपयोगी सुधार किए हैं।

(ख) व्यावहारिक अनुसंधान विद्यालय, सांगली द्वारा विकसित जानकारी को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, जो विकास और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है, को इसके वाणिज्यीकरण के लिए हस्तांतरित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने बैलगाड़ी के सुधरे माडल का विनिर्माण करने के लिए एक वाणिज्यिक इकाई को लाइसेंस दिया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित सुधरे माडलों का विनिर्माण कुछ संगठनों द्वारा भी किया जा रहा है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैलगाड़ियों की खरीद के लिए छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत की दर से, सीमान्त किसानों व दस्तकारों के लिए 33-1/3 प्रतिशत की दर से और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत की दर से राजसहायता उपलब्ध है।

(ग) देश में सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा विनिर्मित सुधरी बैलगाड़ियां उपलब्ध हैं। बैलगाड़ियों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) बैलगाड़ियों को खरीद करने के लिए किसानों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंक ऋण प्रदान करते हैं। लघु और सीमान्त किसानों व अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ब्याज की दर 10 प्रतिशत वार्षिक तथा अन्यों के लिए 12.5 प्रतिशत वार्षिक है। भिन्न ब्याज की दर सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक है।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य उद्योग का विकास

3240. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मत्स्य उद्योग का विकास आशा के अनुरूप संतोषजनक नहीं रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ग्रामीण जीवन पर इसका क्या प्रभाव है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक उपाय किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में मात्स्यकी का विकास संतोषजनक रहा है। तीन दशकों(1951-1981) के दौरान देश में मछली का कुल उत्पादन तीन-गुणा से अधिक हो गया। इसी अवधि के दौरान अन्तर्देशी मछली का उत्पादन चार-गुणा अधिक बढ़ गया। भारत में 1971-1981 के दशक के दौरान मछली के उत्पादन में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर रही, जबकि इसी अवधि में विश्व में मछली के उत्पादन की वृद्धि दर 13.2 प्रतिशत रही। 1983-84 में मछली के उत्पादन के अनुमान के मुताबिक, यह 26.04 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया।

अन्तर्देशी क्षेत्र में, गांवों में तालाबों और जलाशयों का 68,000 हैक्टार से अधिक जल क्षेत्र वैज्ञानिक मछली पालन के अन्तर्गत लाया गया है और ग्रामीण इलाकों में मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत लगभग 46,000

मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) से (घ) विकास योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने की योजना

3241. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उन मछुआरों के परिवारों की संख्या कितनी है जो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित हुए हैं और इस प्रकार के लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन द्वारा की गई संगणना के अनुसार तटीय मछुआरों की जनसंख्या लगभग 21 लाख है। इसमें से लगभग 5 लाख गतिशील मछुआरे बताए जाते हैं। राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन मछुआरों की समाजार्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. गतिशील मछुआरों के लिए दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा के लिए राजसहायता।
2. बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए सहायता तथा लघु मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और जहाज खड़ा करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्यों द्वारा ऋण/राजसहायता के जरिए छोटे जलयानों का पंजीकरण।
4. खारे पानी में मत्स्य/झींगा मछली पालन।
5. मत्स्यपालक विकास अभिकरणों की स्थापना।
6. उम्दा किस्म के डिम्भोना का उत्पादन और वितरण।

गतिशील मछुआरों की दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 5 लाख मछुआरों का सामुद्रिक राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में बीमा किया गया है/बीमे के अन्तर्गत लाया गया है। देश में 147 मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत लगभग 46,000 व्यक्ति वैज्ञानिक रीति से मछली पालन में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है—

आन्ध्र प्रदेश—802, असम—1259, बिहार—8447, गुजरात—441, हरियाणा—1069, कर्नाटक—671, केरल—525, महाराष्ट्र—658, मध्य प्रदेश—3897, मणिपुर—225; राजस्थान—694, नागालैंड—46, उड़ीसा—6764, पंजाब—1050, तमिलनाडु—1236, त्रिपुरा—1437, उत्तर प्रदेश—10,227, पश्चिम बंगाल—6020।

इसके अलावा, कुछ राज्यसहायित आवास, कमी वाले मौसम में राहत देने और मृत्यु और अपंगता के लिए अनुग्रह भुगतान करने जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहे हैं।